

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

।।संकल्प।।

विषय:— बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग एवं बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा संवर्ग के अंतर्गत नवनियुक्त परीक्ष्यमान पदाधिकारियों का सांस्थिक/प्रवेशकालीन प्रशिक्षण के संबंध में ।

विभागीय संकल्प ज्ञापांक—1223 दिनांक—17.03.2016 द्वारा बिहार सहकारिता प्रशासनिक एवं अंकेक्षण सेवा, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संवर्ग एवं अंकेक्षक संवर्ग के नवनियुक्त पदाधिकारियों के लिए प्रवेशकालीन प्रशिक्षण नीति एवं कार्यक्रम निर्धारित है।

2. बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा चयनित सभी संवर्ग के पदाधिकारियों के सांस्थिक प्रशिक्षण एवं परीक्ष्यमान अवधि के संबंध में दिनांक—03.07.2023 को अपराह्न 03:00 बजे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में 01 वर्ष का प्रशिक्षण का प्रावधान करते हुए चार चरणों में विभक्त करने का अनुशंसा किया गया है। तृतीय चरण के प्रशिक्षण हेतु सभी प्रशासी विभागों द्वारा बिपार्ड से समन्वय स्थापित कर अलग-अलग नियम पुस्तिका (Manual) तैयार किया जाना है। उक्त के आलोक में बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग एवं बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों के सांस्थिक/प्रवेशकालीन प्रशिक्षण संबंधी नीति एवं कार्यक्रम निर्धारित करने हेतु विभागीय समिति का गठन किया गया।

3. बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग एवं बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों के बढ़ते उत्तरदायित्व, प्रशासन के लिए चुनौतियाँ सहकारी समितियों के विकास कार्यक्रमों में उत्तरोत्तर वृद्धि, कार्य निष्पादन की नई तकनीक, लोक दायित्व में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा उक्त सेवा के नवनियुक्त पदाधिकारियों के प्रवेशकालीन प्रशिक्षण की अवधि को एक वर्ष (52 सप्ताह) करते हुए सांस्थिक/प्रवेशकालीन प्रशिक्षण संबंधी नीति एवं कार्यक्रम तैयार कर उपलब्ध कराया गया।

4. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा लिए गए निर्णय एवं विभागीय समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये सांस्थिक/प्रवेशकालीन प्रशिक्षण संबंधी नीति एवं कार्यक्रम के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग एवं बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा संवर्ग के नवनियुक्त पदाधिकारियों के प्रवेशकालीन प्रशिक्षण की अवधि को एक वर्ष (52

सप्ताह) करते हुए निम्नरूपेण सारिथक/प्रवेशकालीन प्रशिक्षण नीति एवं कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है:-

क्र० सं०	प्रशिक्षण का चरण	प्रशिक्षण कार्यक्रम	अवधि (सप्ताह)	अभ्युक्ति
1.	प्रथम चरण (08 सप्ताह)	सांस्थिक अनुकूलन कार्यक्रम (Institutional Orientation Programme) इस प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों के व्यक्तित्व विकास के साथ-साथ राज्य सरकार में प्रवृत्त सामान्य नियमों यथा - बिहार सेवा संहिता, बिहार कोषागार संहिता, बिहार वित्त नियमावली, बिहार पेंशन नियमावली, बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005, यात्रा भत्ता नियमावली, बिहार लोक सेवाओं का अधिकार, न्यायालय की प्रक्रिया, विधान बनाने की प्रक्रिया, लोक/सेवा शिकायत निवारण, बिहार कार्यपालिका नियमावली, सेवान्तीय लाभ, भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सिविल प्रक्रिया संहिता, बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935, बिहार सहकारी समिति नियमावली, 1959, बिहार राज्य चुनाव प्राधिकार, निर्वाचन एवं समाज कल्याण से संबंधित अधिनियम, भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, IT Act and Cyber Crime, अन्य प्रशासनिक प्रशिक्षण एवं भारत दर्शन।	08	BIPARD, PATNA/GAYA
2	द्वितीय चरण (सेवा से संबंधित विशिष्ट प्रशिक्षण) (15 सप्ताह)	I.(A) Diploma in Cooperative Management for Bihar Cooperative Administrative Service - Cooperative Law and Administration-ARCS would be equipped with the court inputs. Judicial Training Special Emphasis would be on Judgement writing. They would be also assigned with specific case records. - Environment for Cooperative, Rural Development and Agriculture - Cooperative Credit and Banking - Non Credit Cooperative - Accounts and Audit	13	D.N.S. Regional Institute of Cooperative Management, Patna VAMNICOM, Pune, BIPARD, Patna/Gaya or any other Training Institute (Recognised by Government For this Purpose) As per Syllabus Prescribed by National Council for Cooperative Training (NCCT), New Delhi.

		• Cost Accounting and Financial Management • Marketing Management • Allied Laws • Organizational Behavioural and Communication • Project Management • Managerial Economics • MIS and Computer Application		
		(B) Diploma in Cooperative Audit for Bihar Cooperative Audit Service • Accounting and Finance • Cost and Managerial Accounting • Principles and Practices of Audit • Cooperative Law and Administration • Cooperative Credit and Banking • Business Law • Test Audit • Special Audit • Follow up action on Audit Reports • Allied Laws • Organizational Behaviour and Communication • MIS and Computer Application		
		2. 02 weeks exposure visit to a cooperative developed state/Institution	02	
3.	तृतीय चरण (25 सप्ताह)	बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों हेतु -		निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पर्यवेक्षण में। (परीवीक्षाधीन पदाधिकारियों द्वारा अपनी सेवा से संबंधित विषयों पर कुछ प्रकल्प (Project) का निर्माण किया जायेगा।)
		मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के साथ संबद्धता	02	
		सहायक निबंधक, सोसो के कार्यालय का स्वतंत्र प्रभार	04	
		जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय से, संबद्धता	02	
		जिला अंकेक्षण पदाधिकारी के कार्यालय से संबद्धता	02	
		जिला विकास प्रबंधक, नाबार्ड के कार्यालय से संबद्धता	02	
		जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक से संबद्धता	03	
		बिहार राज्य स्वावलंबी सहकारी अधिकरण	02	

		से संबंधित प्रशिक्षण		
		संयुक्त निबंधक के कार्यालय में अवार्ड/अधिभार संबंधित न्यायालय कार्य का प्रशिक्षण	04	
		जिला एवं सत्र न्यायाधीश में न्यायालय कार्य का प्रशिक्षण	02	
		कोषागार प्रशिक्षण	02	
		बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों हेतु -		
		अनुमंडल अंकेक्षण पदाधिकारी के साथ संबद्धता	04	
		जिला अंकेक्षण पदाधिकारी/अनुमंडल अंकेक्षण पदाधिकारी का स्वतंत्र प्रभार	04	
		जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय के साथ संबद्धता	02	
		जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के कार्यों के संबंध में प्रशिक्षण हेतु संबद्धता	03	
		जिला विकास प्रबंधक, नाबार्ड के कार्यालय से संबद्धता	02	
		उप मुख्य अंकेक्षक, स0स0 के साथ संबद्धता	02	
		संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण) के साथ संबद्धता	04	
		कोषागार प्रशिक्षण	02	
		प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक के कार्यालय में न्यायिक कार्यों का प्रशिक्षण हेतु संबद्धता	02	
4.	चतुर्थ चरण (4 सप्ताह)	प्रशिक्षणार्थियों द्वारा निर्मित प्रकल्प (Project) का प्रस्तुतीकरण एवं सचिवालय प्रशिक्षण हेतु सचिवालय के विभिन्न विभागों से संबद्ध किया जाना	04	BIPARD, PATNA/GAYA
		कुल	52 सप्ताह	

5. पदाधिकारियों की योग्यता एवं कौशल वृद्धि हेतु लब्धप्रतिष्ठित संस्थाओं यथा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय लोक प्रशासन संस्थान (LBSNAA), मसूरी (उत्तराखण्ड), राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य संस्थान (NIRD&PR), हैदराबाद (तेलंगाना), भारतीय ग्रामीण प्रबंध संस्थान (IRMA), आनन्द (गुजरात), भारतीय प्रबंध संस्थान (IIM), जैवियर प्रबंध संस्थान (XLRI), बैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान (VAMNICOM), पूणे आदि संस्थाओं में प्रशिक्षण हेतु भेजा जा सकता है। इसी प्रकार अन्य राज्यों में Best practices की गहराई से अध्ययन करने हेतु Project Studies के लिए उन राज्यों में भेजा जा सकता है।

6. प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन के पश्चात् प्रशिक्षण देने वाली संस्था प्रशिक्षण में भाग लेने वाले पदाधिकारियों द्वारा प्राप्त किये गये प्रशिक्षण का मूल्यांकन करेगी। साथ ही प्रशिक्षण

कार्यक्रम एवं भविष्य में प्रशिक्षण के संबंध में प्रत्येक प्रशिक्षणार्थियों से सुझाव (Feed back) प्राप्त किया जाएगा जिसमें मुख्य रूप से प्रशिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति की सीमा, मुख्य सीख एवं संभावित सुधार से संबंधित सुझाव/परामर्श को शामिल किया जायेगा।

7. बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग एवं बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा संवर्ग के नवनियुक्त पदाधिकारियों के लिए निर्धारित 01 वर्ष (52 सप्ताह) की प्रशिक्षण आकस्मिक परिस्थितियों को छोड़कर, आवश्यक होगा तथा सेवा सम्पुष्टि, प्रोन्नति के लिए अनिवार्य होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(स्मृति कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक...../पटना, दिनांक.....

01/रा०स्था० (प्रशि)-54/2023 सह०

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, बाल्मी परिसर, फुलवारीशरीफ, पटना एवं गया/प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/निदेशक, दीप नारायण सिंह, क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (डी0एन0एस0), पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/अपर सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार/सभी संयुक्त निबंधक (प्रशासनिक एवं अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, बिहार/सभी उप मुख्य अंकेक्षक, सहयोग समितियाँ, बिहार/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी, बिहार/सभी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, बिहार/सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक.....1808...../पटना, दिनांक.....26/06/2024

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी (ई-गजट कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ दो हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में/आई०टी० मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी।